226 102

प्र॰ क्रमांक – III/निग॰/रीवा/2017/4133

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

Rs 30/-

1. रामजस तनय स्व0 श्रीलाल ब्रा0 उम्र–लगभग 61 वर्ष
2. रामदेव तनय स्व0 श्रीलाल ब्रा0 उम्र– लगभग 56 वर्ष
3. मकसूदन प्रसाद तनय स्व0 श्रीलाल ब्रा0 उम्र–लगभग 51 वर्ष
4. रामनिहोर तनय स्व0 चंदमणिराम ब्रा0 उम्र–लगभग 75 वर्ष
5. रघुनाथ तनय स्व0 चंदमणिराम ब्रा0 उम्र–लगभग 70 वर्ष

सभी निवासी ग्राम घुरेहटा थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

————————निगरानीकर्तागण

अधि॰ श्री सतीश सोहगौरा द्वारा पेश 31-10-17

बनाम

1. शेषमणि तनय स्व0 चंदूराम ब्रा0 उम्र–लगभग 68 वर्ष निवासी ग्राम घुरेहटा थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0
2. शासन म0प्र0

————————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षण महोदय मण्डल गिर्द तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक – 103अ12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 30/7/17 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता सन् 1959 ई0।

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अ. यह कि अनावेदक /गैरनिगरानीकर्ता द्वारा भूमि खसरा कमांक 2810/1 रकवा 0–287 हे0 स्थित ग्राम घुरेहटा ज0न0 258 प0ह0 घुरेहटा क0 37 तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया गया ।

ब. यह कि हल्का पटवारी घुरेहटा द्वारा निगरानीकर्तागण को बगैर सूचित किये उनके पीठ पीछे सीमांकन कार्य सम्पन्न किया गया जबकि निगरानीकर्ता कं0 04 एव 05 सरहद्दी कास्तकार है तथा निगरानीकर्ता कं0 01 ता 03 का उक्त भूमि के 0–073 हे0 में उनके पिता के जमाने से (लगभग 100 वर्ष पूर्व से)

रामजस शर्मा

कमश :

(102)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/रीवा/2017/4133 जिला रीवा

रामयश वगै0 विरूद्ध शेषमणि वगै0

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री मनीष सोहगौरा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त गढ़/मऊगंज तहसील मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 103/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 30-7-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28.3.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	